परम आवश्यक

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास,
रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675778, 2675779
http://uic.gov.in

पत्रांक : 9060/उ.सू.आ./2013–14
दिनांक : 06/08/2013

प्रिय

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2132/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 28/06/13 का संदर्भ करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2013 अधिसूचित की गयी है.

2. पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 118/XXXI(1)G-65/2012 दिनांक 07/01/13 के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2012 बनाये जाने के उपरांत आयोग द्वारा नियमवाली के सम्बंध में अपनी टिप्पणियों/आपत्तियों से तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अवगत भी कराया गया था (अ.शा. पत्रांक 565/उ.सू.आ./2013 दिनांक 15/01/13). इसके उपरांत माह जून 2013 में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोग के साथ अनौपचाकि वार्ता की गयी तथा आयोग के सुझावों पर काफी सीमा तक सहमति हो जाने के आधार पर आयोग द्वारा कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया (पत्रांक 7320/उ.सू.आ./2013–14 दिनांक 21/06/13, प्रतिलिपि संलग्न).

3. शासन द्वारा दिनांक 28/06/13 को जो नई नियमावली अधिसूचित की गयी है उस पर दिनांक 29/07/13 को पूर्ण आयोग की बैठक हुयी. बैठक में नियमावली के विभिन्न नियमों का अध्ययन कर विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष आयोग स्तर पर सामने आये :

3.1 नियमावली के नियम 5(च) में यह व्यवस्था दी गयी है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक 'सूचना' अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक 'सूचना' अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रकिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी.

जहां तक इस नियम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा कर के उसे स्पष्ट करने का जो प्राविधान है, उसमें आयोग को गंभीर आपत्ति है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तथा नियमावली द्वारा ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया जा सकता है. इस प्राविधान की आड़ में लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक रूप से अत्यधिक विलम्ब से पत्र प्रेषित किया जायेगा जिसमें समय सीमा के अभाव में सूचना दिये जाने में भी विलम्ब होगा. अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण नियमावली मे ऐसी व्यवस्था करना विधि सम्मत नहीं है.

इस नियम के दूसरे भाग में ''लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा'' की व्यवस्था भी उचित नहीं है. उत्तराखण्ड एक पर्वतीय प्रदेश है. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र से तथा विदेश से भी सूचना हेतु आवेदन प्रेषित कर सकता है. आवेदित सूचना के सुस्पष्ट चिन्हीकरण हेतु अनुरोधकर्ता को सूचना का निरीक्षण करने हेतु कहे जाने पर प्रदेश के दूरस्थ स्थलों से आवेदनकर्ता को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर अथवा इन स्थान से पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे स्थानों में स्थित लोक प्राधिकारी कार्यालय में जाने की अपेक्षा की जायेगी. इससे आवेदनकर्ताओं को अत्यधिक कठिनाई होगी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकार के प्रयोग हेतु उनके समय की बर्बादी के साथ–साथ दुर्घटना/दैवीय आपदा आदि विषम स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है. अतः

नियमवाली में ऐसी व्यवस्था पूर्ण–रूपेण अनुचित है तथा अनुरोधकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करने से हतोत्साहित करने के समान है.

अतः लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य सूचना के चिन्हीकरण हेतु पत्र प्रेषित करने तथा सूचना का निरीक्षण करने के इस प्राविधान को नियमावली से निरस्त किया जाये ताकि सूचना अनुरोधकर्ता सूचना मांगने में हतोत्साहित न हों. जो व्यवस्था मूल अधिनियम में नहीं है उसे नियमावली में नहीं किया जा सकता है. अतः इस नियम को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाये.

3.2 नियमावली के नियम 8(छ) में यह व्यवस्था दी गयी है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित 'सूचना' का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान कर निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा/प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा .

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि जो सूचना अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के भीतर देय है उसे लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक रूप से दिये जाने अथवा सूचना न दिये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर आवेदक द्वारा चिन्हित सूचना को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके दिये जाने का जो प्राविधान दिया गया है वह अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल है. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा यदि सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप से किये जाने हेतु अथवा अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आवेदक को निर्देशित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को सूचना निःशुल्क दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना अधिनियम में निर्धारित 30 दिन की अवधि के बाद दी जा रही है. अतः ऐसी स्थिति में प्रथम अपील के उपरांत सशुल्क सूचना दिये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाये.

3.3 सूचना आयोग में द्वितीय अपील किये जाने से संबधित नियम 9(पॉच) के अंग्रेजी संस्करण में "No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question" में "No other" के स्थान पर "No other Public Authority" लिखा जाना उचित रहेगा.

3.4 नियमावली के नियम 9(छ) में यह व्यवस्था दी गयी है कि *लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा.आयोग उक्त के बाद अन्तरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रंस्त विषय से इतर विशय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा. द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा.*

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलों के निस्तारण के सम्बंध में समय सीमा का कोई प्राविधान नही दिया गया है, तथा अधिनियम के अंतर्गत आयोग ही अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का आयोग ही अंतिम मंच है. अतः इसमें किसी प्रकार की समय–सीमा का निर्धारण उचित नहीं है. वैसे भी आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों का निस्तारण कम से कम समय में किये जाने का प्रयास किया जाता है. अतः जो व्यवस्था अधिनियम में नहीं दी गयी है उसे नियमावली के माध्यम से लागू करने का औचित्य नहीं है. अनुरोध है कि इस प्राविधान को समाप्त कर दिया जाये.

3.5 नियमावली के नियम 9(दस) में यह व्यवस्था दी गयी है कि आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ की जायेगी. शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा.

इस सम्बंध में आयोग का मत है कि आयोग द्वारा किसी भी मामले में सम्यक विचारोपरान्त ही अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है. कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण के उपरांत ही आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जाती है.

जहॉ तक उक्त नियम 9(दस) में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नही रखे जाने की बाध्यता रखी गयी है; इस सम्बंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 19(8) में

प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही अपीलों की सुनवाई का एक अभिन्न अंग है. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत ही आयोग द्वारा शास्ति आरोपण के कारणों तथा उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है. कारण बताओ नोटिस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने पर आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है तथा सूचना उपलब्ध कराने सम्बंधी निर्देश भी दिये जाते हैं तथा गुण दोष के आधार पर अपील का निस्तारण किया जाता है जिसमें शास्ति आरोपण सम्बंधी आदेश भी पारित किये जा सकते हैं.

अतः इस विषय पर आयोग का स्पष्ट मत है कि उक्त नियम 9(दस) जिसके द्वारा आयोग द्वारा की जाने वाली द्वितीय अपीलों की सुनवाई तथा शास्ति आरोपण की कार्यवाही को पृथक–पृथक किये जाने की व्यवस्था की गयी है वह अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है. अतः इस प्राविधान को समाप्त किया जाये.

4. शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावाली, 2013 पर आयोग की उपरोक्त टिप्पणियों को मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि कृपया आयोग की टिप्पणियों पर शासन स्तर से यथोचित परीक्षण एवं आवश्यक परामर्श के पश्चात नियमावली में यथास्थान संशोधन यथाशीघ्र कराने का कष्ट करेंगे. कृपया इस प्रकरण पर शासन स्तर से की गयी कार्यवाही से आयोग को भी तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

5. सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को प्राप्त मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित विवरणानुसार ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

5.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2012–13 में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 87691 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 76934 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष राजस्व विभाग को सबसे अधिक 17821 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये.

5.2 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2012–13 में विद्यालयी शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे अधिक द्वितीय अपील आयोग में प्राप्त हुयीं. इसके बाद राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा गृह विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी.

5.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आयोग को वर्ष 2012–13 में जनपद देहरादून से 42 प्रतिशत द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं जो आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या का सर्वाधिक था. इसके उपरांत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा पौड़ी जनपदों से आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या रही. बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत अत्यंत कम रहा.

5.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2012–13 में भी महिला अपीलकर्ताओं की संख्या कम रही तथा पुरूष अपीलकर्ताओं द्वारा ही अधिकतम द्वितीय अपीलें (93 प्रतिशत) आयोग को प्रेषित की गयी. .

5.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

विगत वर्ष की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या में इस वर्ष 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी. वर्ष 2012–13 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 27 प्रतिशत तथा शेष 73 प्रतिशत द्वितीय अपीलें शहरी क्षेत्र से आयोग को प्राप्त हुयीं.

5.6 आयोग में धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

इस अवधि में द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

5.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2012–13 में कुल प्राप्त शिकायतों में मात्र 5 प्रतिशत ही महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में शिकायतें दर्ज करायीं तथा शेष 95 प्रतिशत शिकायतकर्ता पुरूष रहे.

5.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2012–13 में 25 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो कि विगत वर्ष की अपेक्षा कम है.

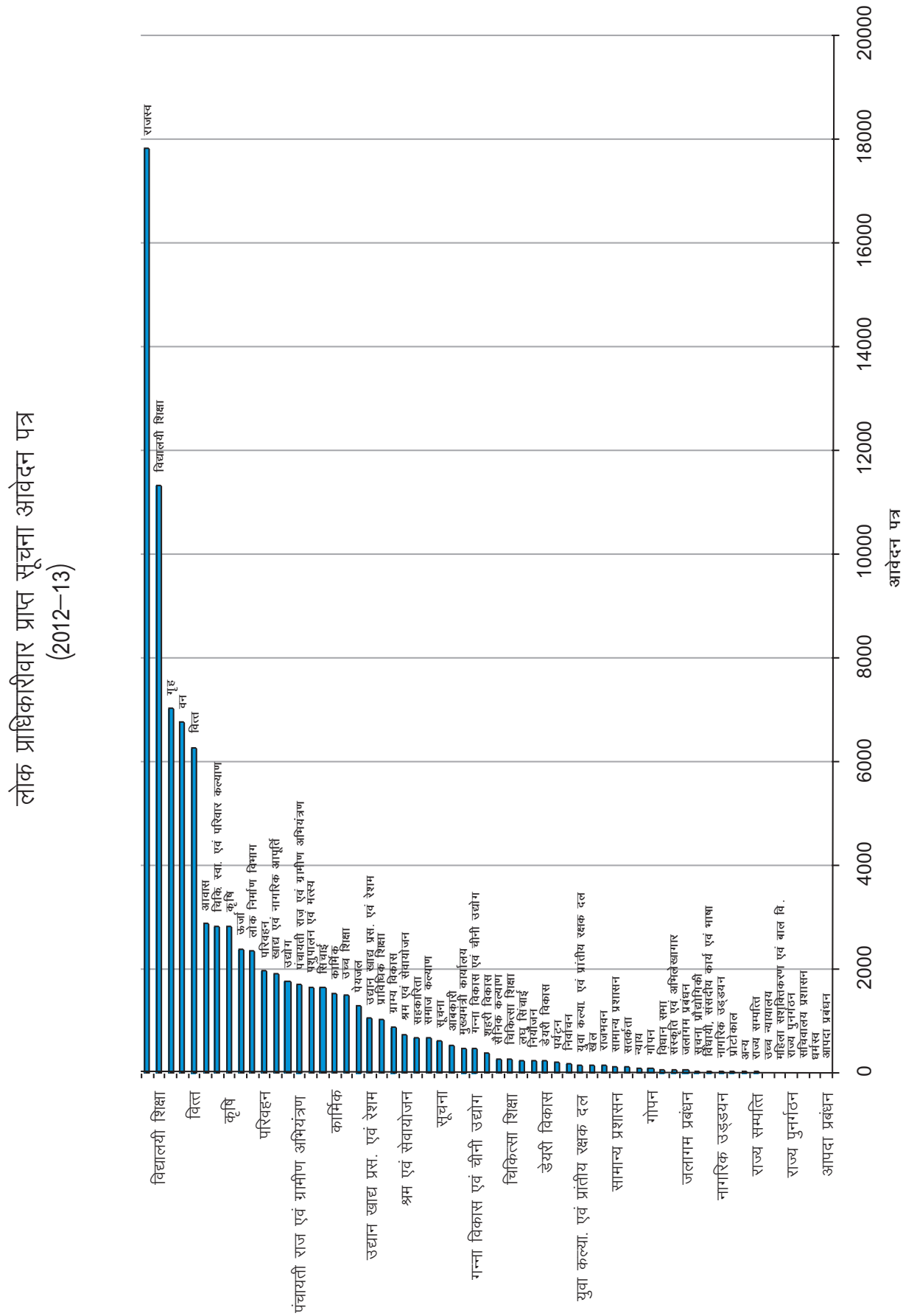
लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र
(2012–13)
विद्यालयी शिक्षा
वित्त
कृषि
परिवहन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण
कार्मिक
उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम
श्रम एवं सेवायोजन
सूचना
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
चिकित्सा शिक्षा
डेयरी विकास
युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल
सामान्य प्रशासन
गोपन
जलागम प्रबंधन
नागरिक उड्डयन
राज्य सम्पत्ति
राज्य पुनर्गठन
आपदा प्रबंधन
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
आवेदन पत्र
राजस्व
विद्यालयी शिक्षा
गृह
वन
वित्त
आवास
चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण
कृषि
ऊर्जा
लोक निर्माण विभाग
परिवहन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
उद्योग
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण
पशुपालन एवं मत्स्य
सिंचाई
कार्मिक
उच्च शिक्षा
पेयजल
उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम
प्राविधिक शिक्षा
ग्राम्य विकास
श्रम एवं सेवायोजन
सहकारिता
समाज कल्याण
सूचना
अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
ग्रुहरी विकास
सैनिक कल्याण
चिकित्सा शिक्षा
लघु सिंचाई
नियोजन
डेयरी विकास
पर्यटन
निर्वाचन
युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल
खेल
राजभवन
सामान्य प्रशासन
सतर्कता
न्याय
गोपन
विधान सभा
संस्कृति एवं अभिलेखागार
जलागम प्रबंधन
सूचना प्रौद्योगिकी
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा
नागरिक उड्डयन
प्रोटोकाल
अन्य
राज्य सम्पत्ति
उच्च न्यायालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.
राज्य पुनर्गठन
मंत्रिमंडल प्रशासन
धर्मस्व
आपदा प्रबंधन

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या
(2012–13)

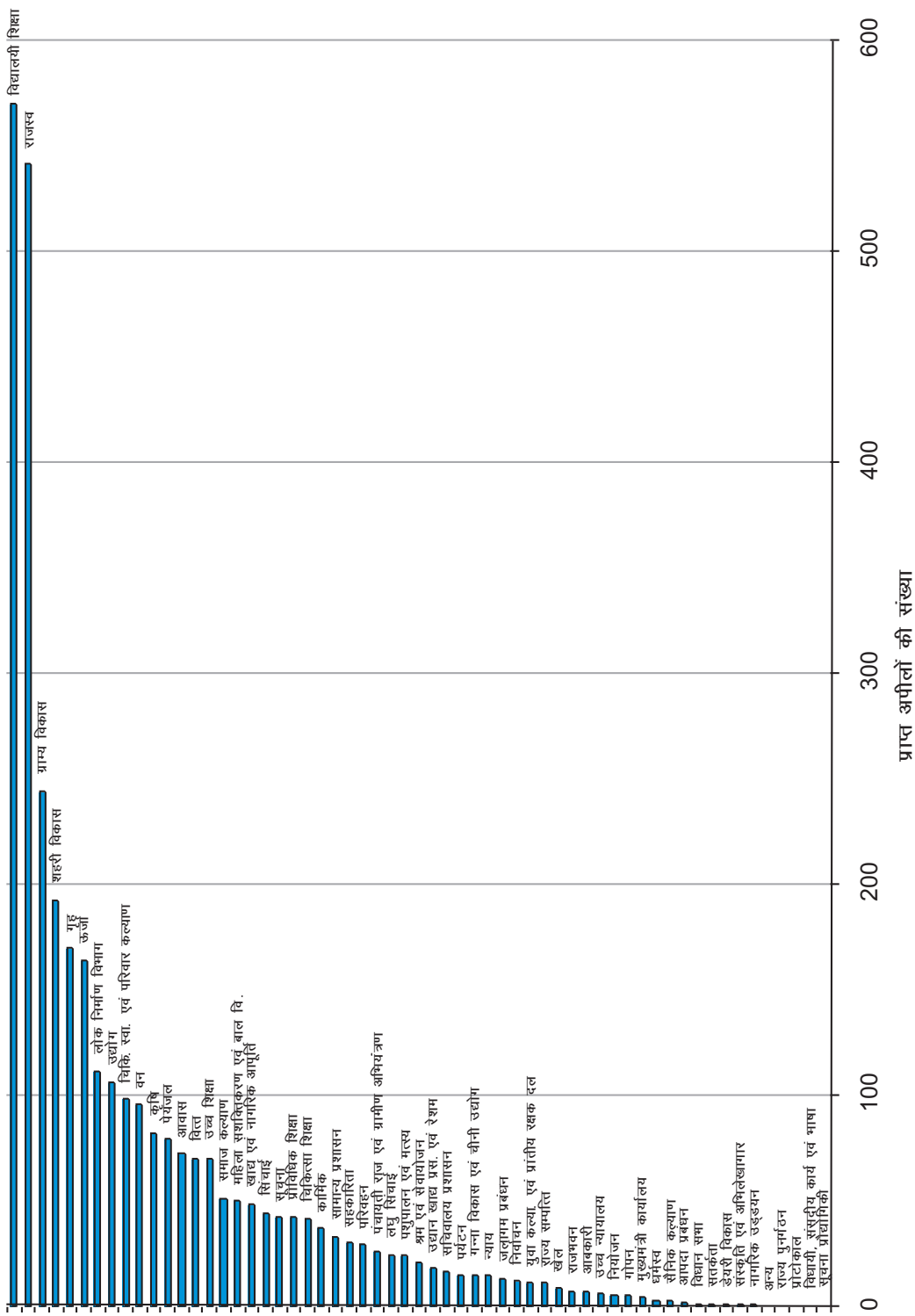

प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत
(2012–13)

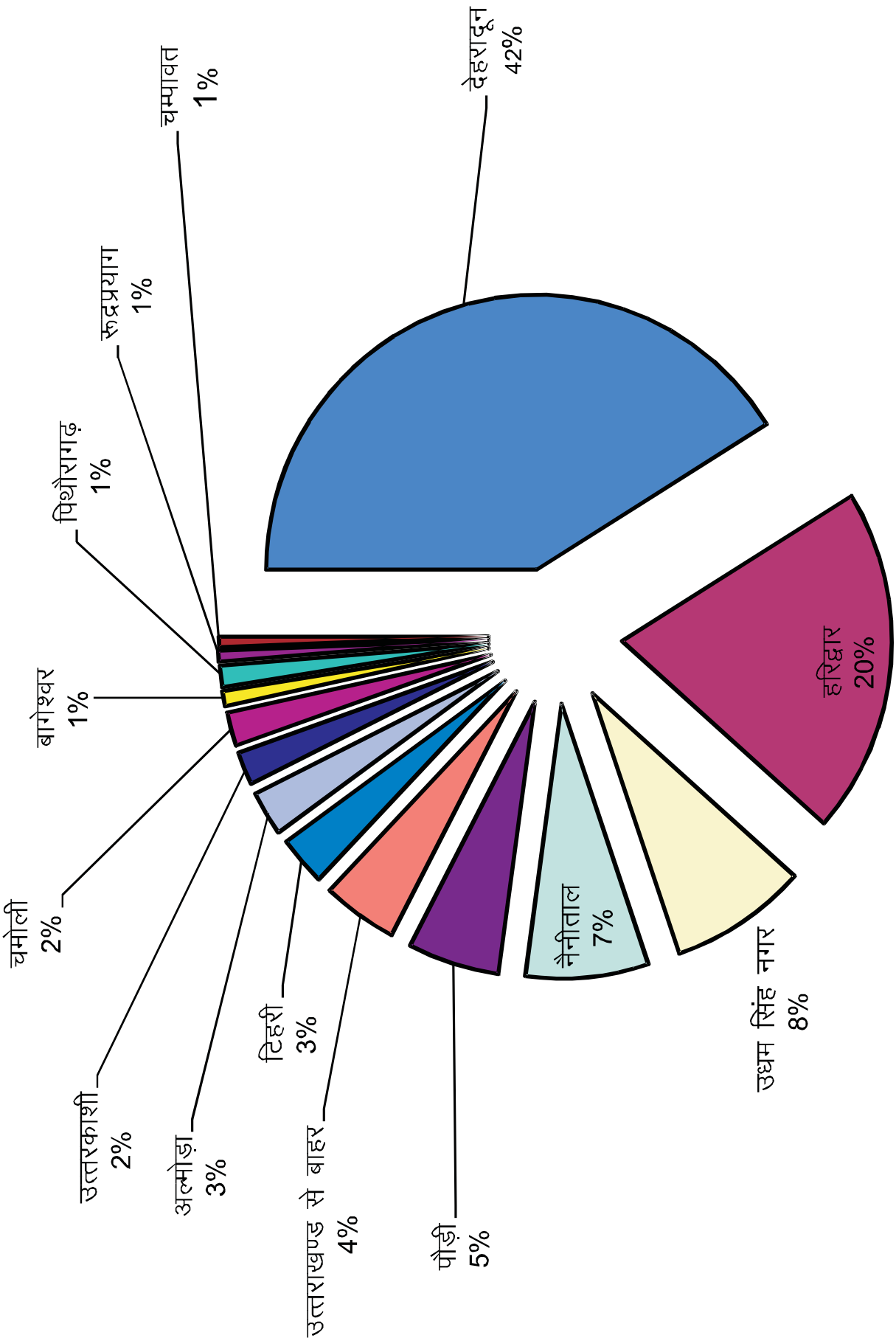

प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला–पुरूष अनुपात
(2012–13)

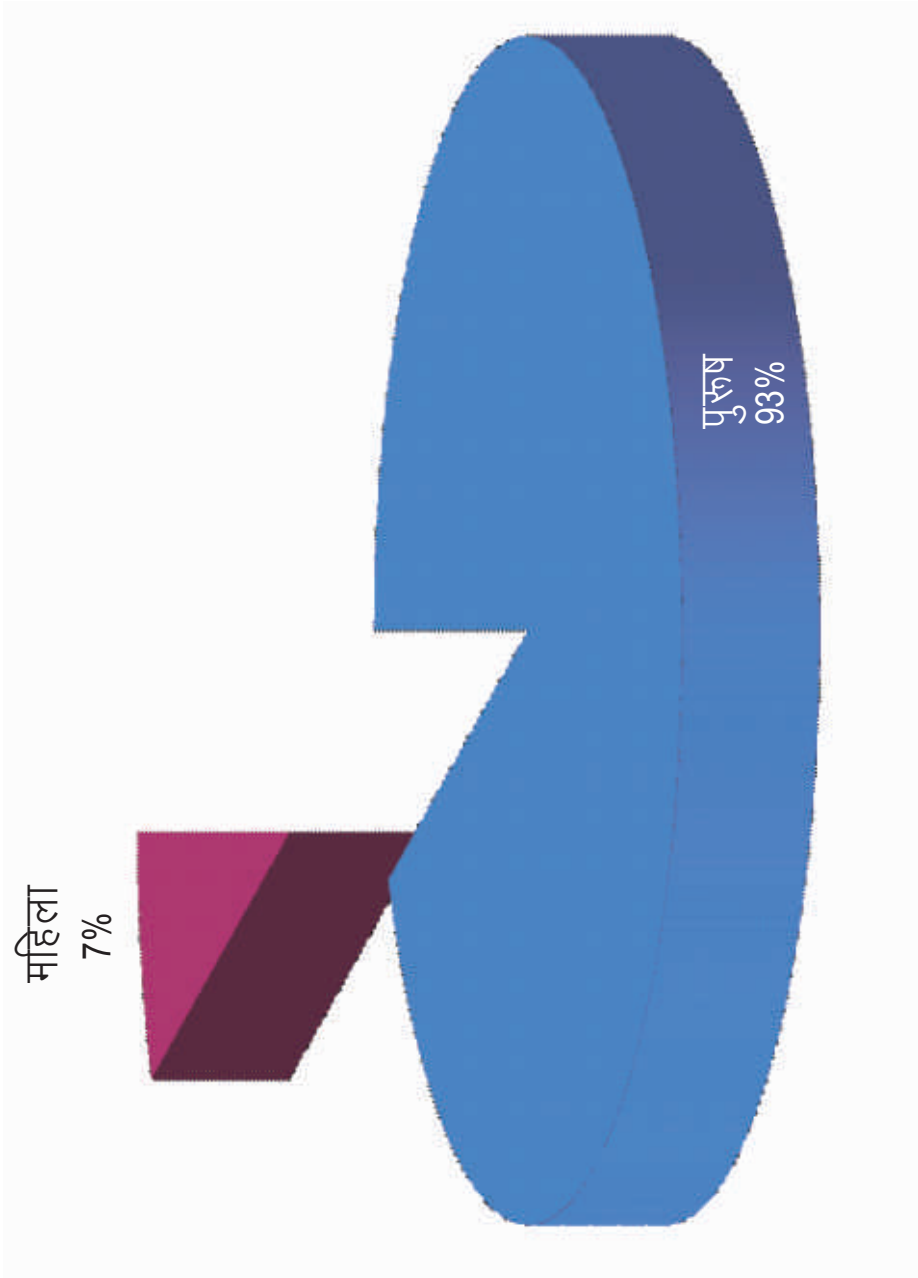

प्राप्त द्वितीय अपीलों का ग्रामीण–शहरी क्षेत्र प्रतिशत
(2012–13)

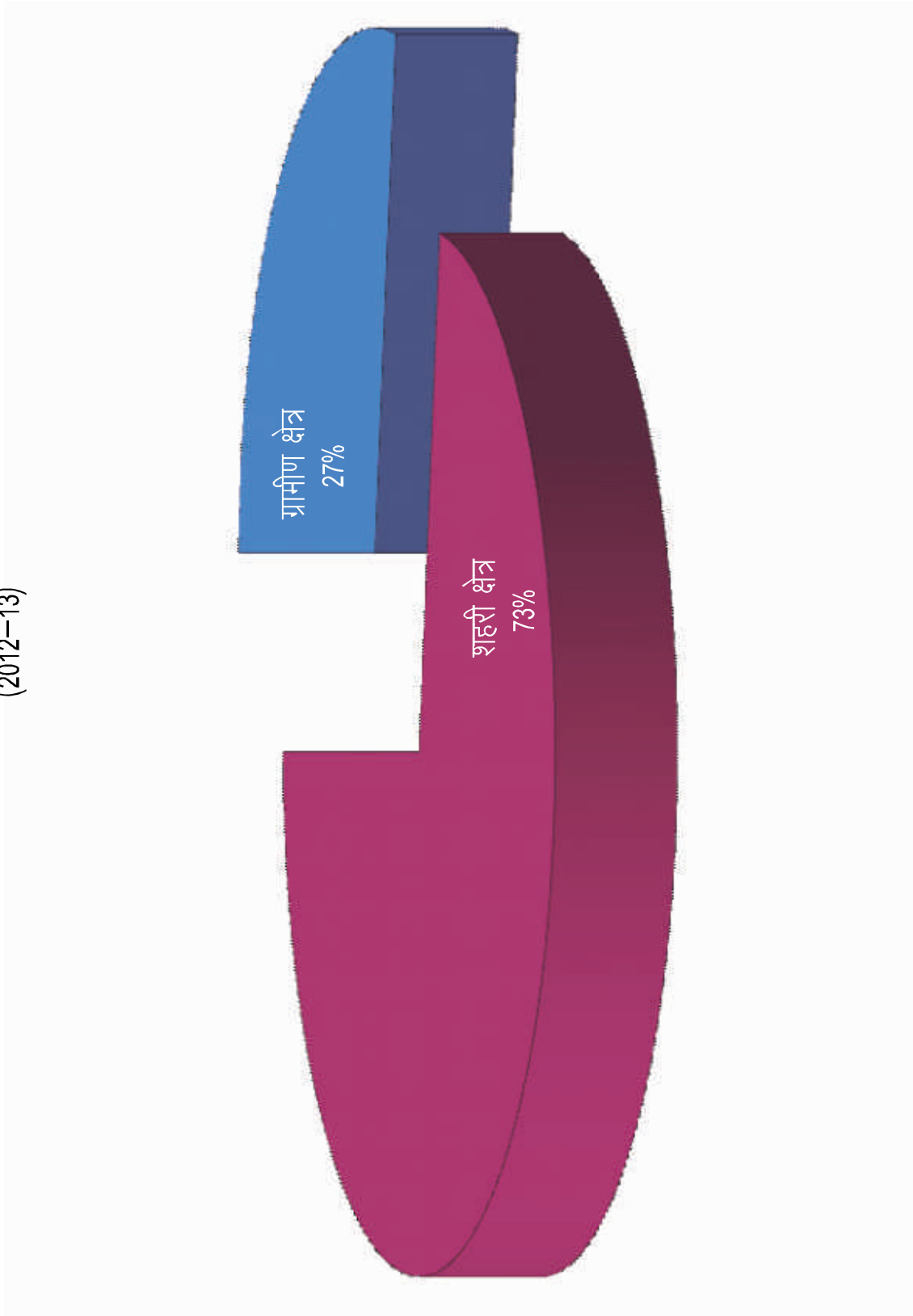

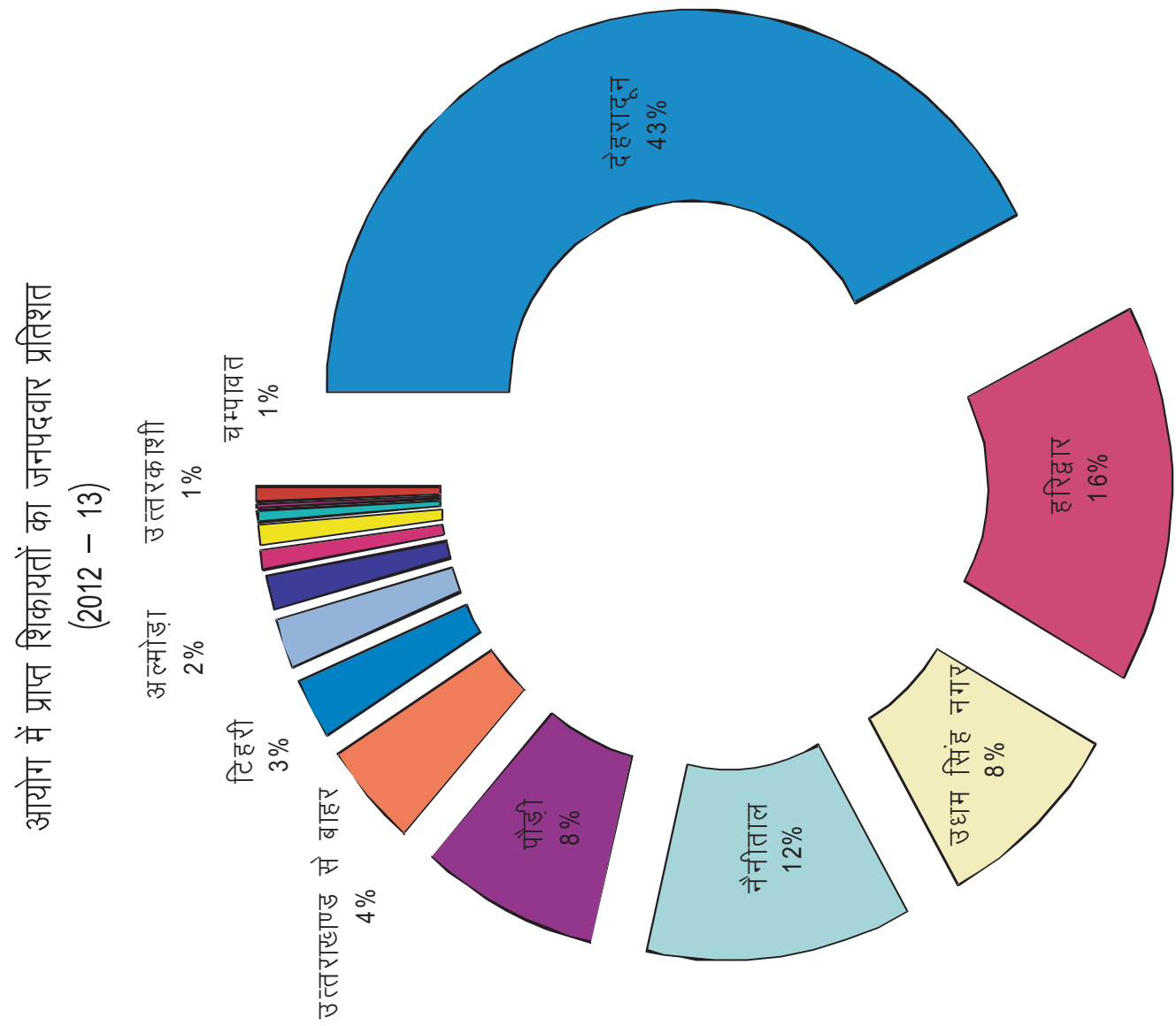
आयोग में प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत
(2012 – 13)
देहरादून
43%
हरिद्वार
16%
उधम सिंह नगर
8%
नैनीताल
12%
पौड़ी
8%
उत्तराखण्ड से बाहर
4%
टिहरी
3%
अल्मोड़ा
2%
उत्तरकाशी
1%
चम्पावत
1%

आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला–पुरुष अनुपात
(2012 – 13)

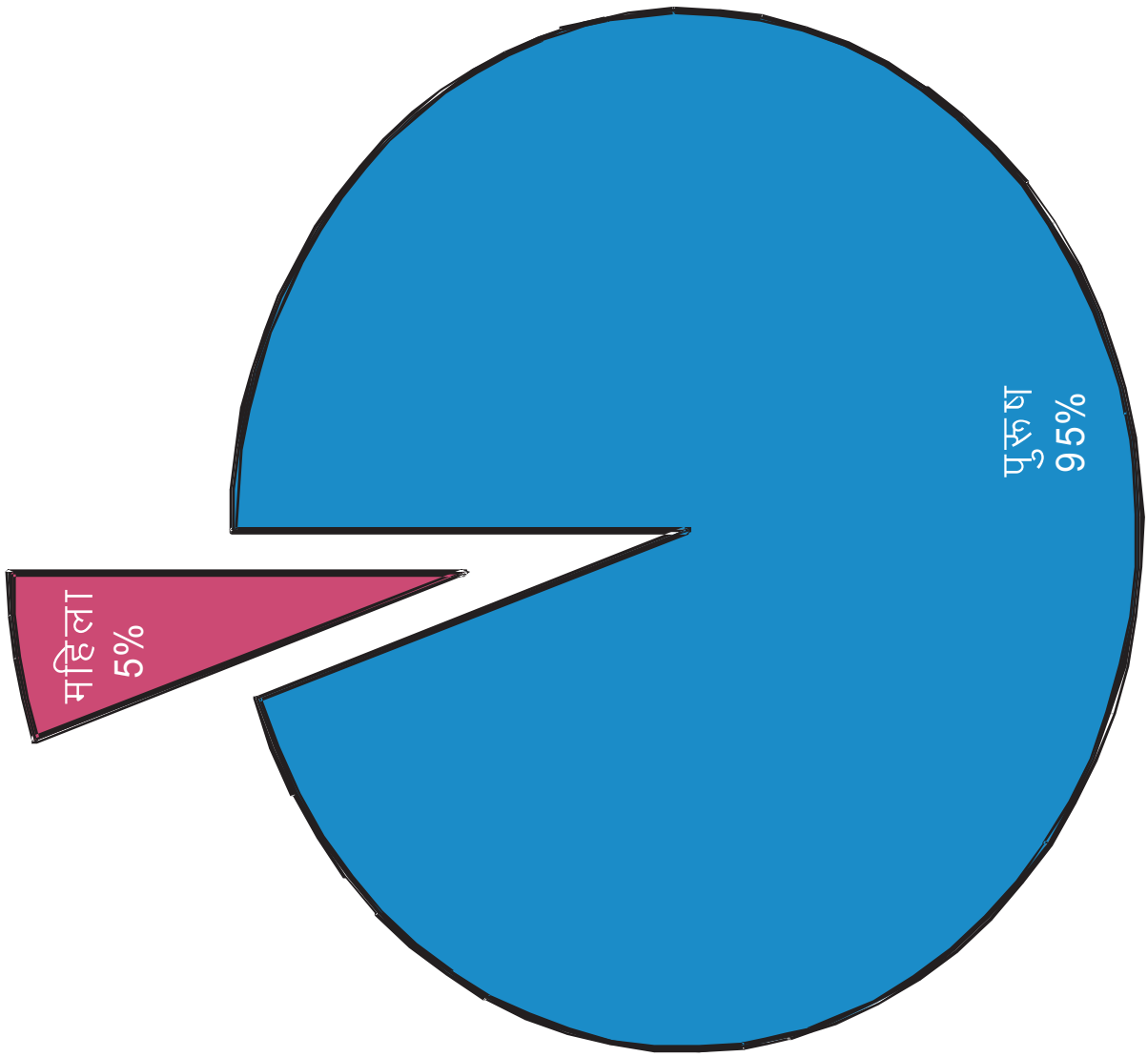

आयोग में प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण–शहरी क्षेत्र अनुपात
(2012 – 13)

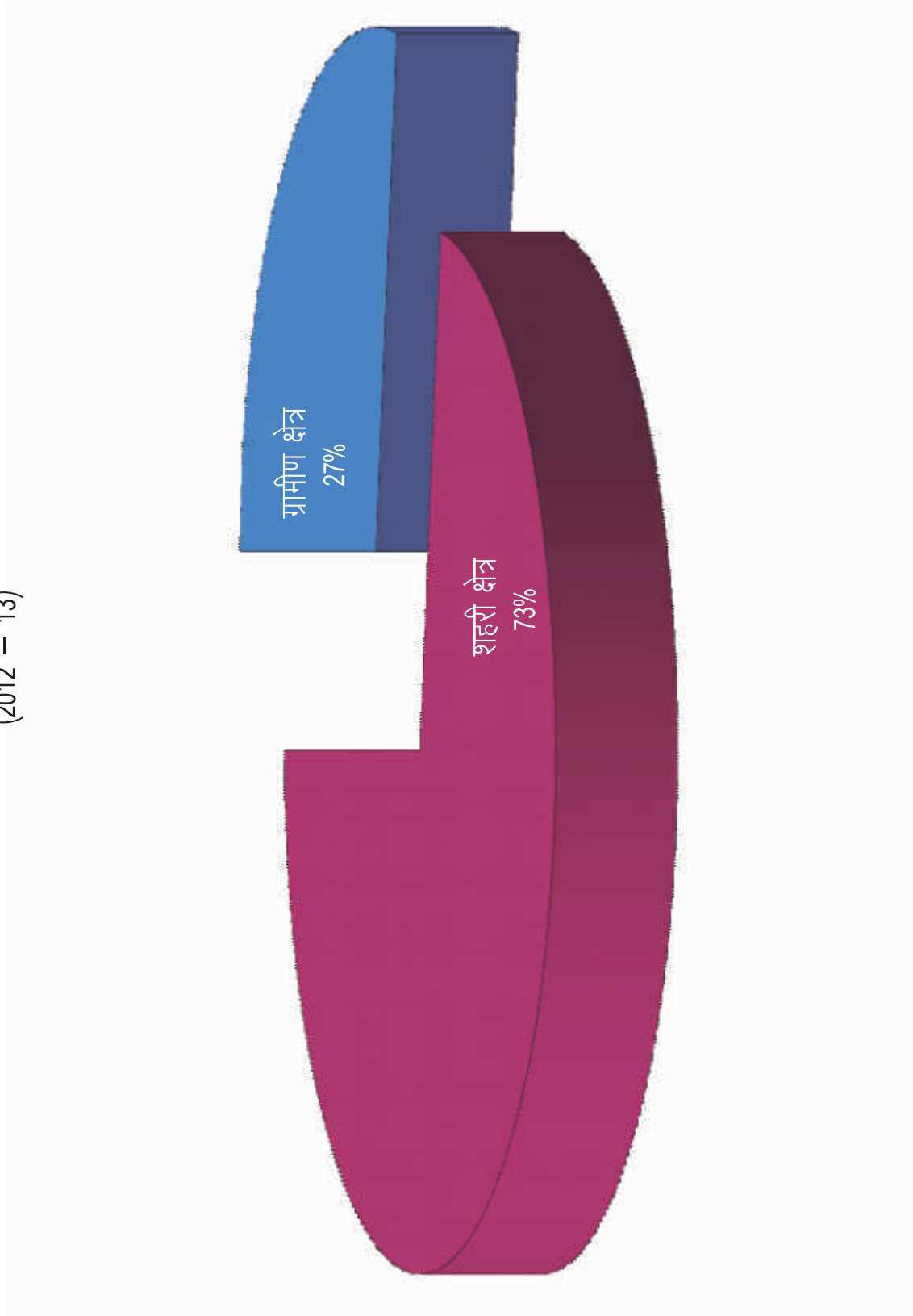

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2012 – 13

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
									धारा 8 (1)												धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	2835	2376	0	181	153	0	41138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पशुपालन एवं मत्स्य	1660	1577	2	51	58	3	35584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	467	243	0	1	1	0	2858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	नागरिक उड्डयन	23	19	0	2	2	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गोपन	74	73	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सहकारिता	670	647	6	98	93	15	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	49	49	0	5	5	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	डेयरी विकास	226	193	1	17	16	1	6373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	आपदा प्रबंधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पेयजल	1302	1048	10	111	107	0	13384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	उच्च शिक्षा	1514	1483	1	97	84	0	31751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	विद्यालयी शिक्षा	11312	11140	3	740	727	1	67914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	प्राविधिक शिक्षा	1016	694	10	127	100	30	13935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	निर्वाचन	173	173	0	7	7	0	1217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ऊर्जा	2382	1779	4	266	235	8	27173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	राज्य सम्पत्ति	1	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	सैनिक कल्याण	274	274	0	28	23	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	आबकारी	525	85	0	2	2	0	1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	वित्त	6276	6014	79	262	241	43	83068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1912	1817	0	127	98	0	18581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	वन	6768	5478	5	946	663	292	123226	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	सामान्य प्रशासन	118	118	0	14	14	0	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	2835	2292	15	227	224	0	34911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	गृह	7031	5639	136	527	466	166	79514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	1058	961	6	98	109	9	10147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26	आवास	2879	2245	192	238	172	30	52633	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
	उद्योग	1758	1592	0	83	70	2	19688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	सूचना प्रौद्योगिकी	31	29	2	0	0	0	1703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	सूचना	607	447	1	111	94	0	6244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिंचाई	1641	1377	15	192	288	4	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	न्याय	98	94	0	8	8	0	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	श्रम एवं सेवायोजन	730	720	0	69	68	0	18298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	चिकित्सा शिक्षा	251	718	20	72	71	0	7244	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0
34	लघु सिंचाई	248	183	0	28	28	0	11599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	1706	690	0	88	0	0	22503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	28	28	0	1	1	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	कार्मिक	1544	1402	11	171	169	3	42579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	नियोजन	234	222	0	28	28	0	3123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	प्रोटोकाल	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	लोक निर्माण विभाग	2340	2219	4	323	214	1	39112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
41	धर्मस्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	राजस्व	17821	15885	4	2145	1881	32	110488	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0
43	ग्राम्य विकास	877	855	0	157	153	20	10108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सचिवालय प्रशासन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	समाज कल्याण	667	667	0	161	71	0	5352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	खेल	148	147	0	13	16	0	2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	राज्य पुनर्गठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	465	382	5	40	23	0	5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	पर्यटन	205	185	1	49	31	1	8212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	परिवहन	1957	1757	27	150	112	3	18203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	शहरी विकास	397	398	0	3	3	0	2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	सतर्कता	109	93	0	11	8	1	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	जलागम प्रबंधन	48	35	0	6	2	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	156	152	0	14	14	0	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	राजभवन	146	141	0	6	9	0	2114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	विधान सभा	71	71	0	7	7	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	उच्च न्यायालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	अन्य	12	11	1	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**87691**	**76934**	**561**	**8108**	**6969**	**665**	**1033194**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**0**	**1**	**2**	**0**	**20**	**0**	**2**	**43**

लोक प्राधिकारियों
के स्तर पर
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत
स्वः प्रकटन की स्थिति

6. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के कियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इस समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वैबसाईट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्याल्याध्यक्षों द्वारा मैनुअल्स को तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/ विभागाध्यक्षों/ कार्याल्याध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिज़िटाईज़ कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2012–13)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअलों को डिजिटाईज़ कर लिया गया है

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग		
1	**कृषि विभाग**		
	1.1	कृषि निदेशालय	
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	
		1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
		1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
		1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
		1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
		1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
		1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	**पशुपालन विभाग**		
	2.1	पशुपालन निदेशालय	
		2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
		2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
		2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
		2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
		2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
		2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
		2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
		2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
		2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
		2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार

		2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
		2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय	
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**		
4	**नागरिक उड्डयन**		
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	**गोपन**		
6	**सहकारिता**		
	6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	**संस्कृति**		
	7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	**डेयरी विकास**		
	8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	**आपदा प्रबन्धन**		
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	**पेयजल**		
	10.1	स्वजल परियोजना	
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
		10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	**उच्च शिक्षा**		
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
	11.2	दून विश्वविद्यालय	
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
		11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
		11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
		11.3.3	डिग्री कालेज, गरूड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	**विद्यालयी शिक्षा**		
	12 1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	

		12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
		12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
		12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
		12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
		12.1.7	डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार
		12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान	
13	**प्राविधिक शिक्षा**		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	**निर्वाचन**		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	**ऊर्जा**		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
16	**राज्य सम्पत्ति**		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	**सैनिक कल्याण**		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	**आबकारी विभाग**		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18 1 1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी

19	**वित्त विभाग**		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	
		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
21	**वन**		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.2	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.3	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.4	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती
		21.1.5	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व, गोपेश्वर
		21.1.6	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.7	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.8	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.9	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.10	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस
		21.1.12	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	
	21 3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व	

22	**सामान्य प्रशासन विभाग**			
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**			
	23.1			
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर	
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	
			23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23.1.3.2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल
			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	**गृह**			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		

	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय
	24.4	अभियोजन निदेशालय
25	**उद्यान एवं रेशम**	
	25.1	उद्यान निदेशालय
	25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी
	25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली
	25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून
	25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी
	25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार
	25.2	रेशम निदेशालय
	25.3	भेषज विकास इकाई
	25.4	चाय विकास बोर्ड
26	**आवास**	
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
27	**उद्योग**	
	27.1	उद्योग निदेशालय
	27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
	27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**	
	28.1	आई.टी.डी.ए.
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**	
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय
30	**सिंचाई**	
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
	30.1.1	अधिशासी अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना
31	**न्याय**	
	31.1	न्याय विभाग
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
	31 3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड

32	**श्रम एवं सेवायोजन**		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	**चिकित्सा शिक्षा**		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार
34	**लघु सिंचाई**		
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय	
		34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	**पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण**		
	35.1	पंचायती राज निदेशालय	
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	**विधायी**		
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग	
37	**कार्मिक**		
	37.1	कार्मिक विभाग	
	37.2	लोक सेवा अधिकरण	
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	
38	**नियोजन**		
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय	
39	**प्रोटोकॉल**		
	39.1	प्रोटोकॉल	

40	**लोक निर्माण विभाग**			
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर		
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)		
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.3	अस्थाई खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी	
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	
		40.2.5	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी	
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून	
41	**धर्मस्व**			
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति		
42	**राजस्व**			
	42.1	राजस्व पुलिस		
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **		
		42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल	
		42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	
		42.2.3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	
		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी	
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी	
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून **	
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली	
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार	
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर	
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत	
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर	
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	
43	**ग्राम्य विकास**			
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **		
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	
			43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट

. . .

			43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3		मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
			43.1.3.1	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4		मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5		खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान		
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी		
44	**सचिवालय प्रशासन**			
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग		
45	**समाज कल्याण**			
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय		
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर		
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग		
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग		
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड		
46	**खेल**			
	46.1	खेल निदेशालय		
		46.1.1		जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर
47	**पुनर्गठन**			
48	**गन्ना एवं चीनी**			
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी		
49	**पर्यटन**			
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम		
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम		
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद		
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान		
50	**परिवहन**			
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम		
51	**शहरी विकास**			
	51.1	शहरी विकास निदेशालय		

		50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
		50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
		50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
		50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
		50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
		50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
		50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
		50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
		50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
		50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
		50.1.11	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग
52	**सतर्कता**		
	52.1	सतर्कता ब्यूरो	
53	**जलागम**		
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय	
54	**महिला एवं बाल विकास**		
	54.1	राज्य महिला आयोग	
55	**युवा कल्याण**		
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय	
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी	
56	**राजभवन**		
	56.1	राजभवन	
57	**विधान सभा**		
	57.1	विधान सभा	
58	**उच्च न्यायालय**		
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड	
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय	

*** मैनुअल को टंकित नहीं किया गया है. समस्त मैनुअल scanned सामग्री से तैयार किया गया है.*

आयोग के
अंगीकृत संकल्प

दिनांक 12/03/2013 को मा. मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की बैठक में लिया गया संकल्प

उपस्थिति :

1. श्री नृप सिंह नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त
2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त
4. श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त

प्रस्तर : 1

मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वाहन पर अनुमन्य लाल बत्ती को हटाये जाने के संबंध में विचार विमर्श.

संकल्प : 1

आज दिनांक 12/03/13 को आयोग द्वारा शासनदेश संख्या 131/ix/61/02/2011 दिनांक 30/06/2011 के माध्यम से मा. मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा. राज्य सूचना आयुक्तों के वाहनों पर लाल बत्ती लगाये जाने के अधिकार के विषय पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वाहनों पर लाल बत्ती का प्रयोग नहीं किया जायेगा.

बैठक मे सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को निर्देशित किया गया कि इस संकल्प की प्रति प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित की जाये.

(प्रभात डबराल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(विनोद नौटियाल)	(एन. एस. नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 29/07/2013 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक कार्यवृत्तः—

उपस्थिति—

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल, — मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल, — राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, — राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल, — राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल — राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल, — उप सचिव,

1. मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के साथ एक बैठक आहूत हुई जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के कई बिन्दुओं पर विचार विर्मश किया गया, कुछ बिन्दुओं पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा निम्न सुझाव दिए गएः—

2. सूचना प्राप्त करने की प्रकिया—

नियम 5(च), अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीहकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक 'सूचना' अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक 'सूचना' अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रकिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करनेअनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को बहुत दूर—दूर से लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आना पड़ेगा, जिसमें उनके समय के साथ—साथ धन की भी अपव्ययता होगी जो 'सूचना' का अधिकार अधिनियम 2005 की अवधारणा के विपरीत होगा।

3. **नियम 8(छ),** आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्ही करण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित 'सूचना' का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

इस बिन्दु में मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि/प्रथम अपील के प्रश्नगत निर्धारित शुल्क का भुगतान न कर अपीलकर्ता को निःशुल्क निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील :–

नियम 9(पॉच), इस बिन्दु के अंग्रेजी संस्करण में No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question. में No other के स्थान पर No other public Authority संसोधन किये जाने का सुझाव दिया गया।

5. **नियम 9(छ),** द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में **अर्न्तग्रंस्त** विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि अधिनियम में समय सीमा का कोई प्राविधान नहीं है फलस्वरूप इसे नियमावली में अन्दर प्राविधान किया जाना उचित नही है।

6. **नियम 9(दस),** आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर क़ारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ की जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि आयोग द्वारा किसी भी मामले में सम्यक विचारोपरान्त ही अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है उसके बाद स्पष्टीकरण का परीक्षण कर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाता है जहॉ तक शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नही रखा जाए, सम्बन्धी उक्त नियम, पर शासन को पुनर्विचार करने की आवश्यता है जो कि धारा 20 की कार्यवाही धारा 18 व 19 से ही सम्बन्धित है।

7. उपरोक्त के सम्बन्ध में सचिव सूचना आयोग को निर्देशित किया गया कि तत्काल मुख्य सचिव, को पत्र प्रेषित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(एन0एस0 न्पलच्याल)	(विनोद नौटियाल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(प्रभात डबराल)	(राजेन्द्र कोटियाल)
मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक 18/09/2013 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिया गया संकल्पः

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल,	–	मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल	–	राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल,	–	उप सचिव,
7. श्री त्रेपन्न सिंह बिष्ट	–	विधि अधिकारी

बैठक में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(1) इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आठ वर्ष के कियान्वयन के अनुभव एंव चुनौतियों पर एक कार्यशाला आयोजित किया जाए एवं जिसमें उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, एवं समस्त विभागाध्यक्षों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया इसके साथ ही उत्तराखण्ड के सभी विश्व विद्यालयों के कुलपतियों को भी आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस गोष्ठी का विषय **सूचना का अधिकार अधिनियम के 08 वर्ष, कियान्वयन, अनुभव एवं चुनौतियाँ** रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(1.1) कार्यक्रम की रूप रेखा निर्धारित करते हुए उक्त कार्यक्रम को राजभवन के प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम श्री राज्यपाल को आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध सचिव श्री राज्यपाल को दिनॉक 12/10/2013 को प्रेक्षागृह आरक्षित किए जाने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यशाला में डा0 वी0पी0मैठानी (पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विशेषज्ञ के तौर पर उनसे कार्यशाला को सम्बोधित कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जायें/साथ ही प्रमुख मीडियॉ प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(j) से आच्छादित व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धी मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णत गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे, बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में पारित निर्णय दिनॉक 03/10/2012 तथा श्री आर0के0 जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश निर्णय दिनॉक 16/04/2013 के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के प्रकरणों में दिशा–निर्देश सभी लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को दिया जाए कि

वह भविष्य में उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व धारा 11(3) में तीसरे पक्ष को सूचना देकर उसका पक्ष सुन लिया जाए, तदपश्चात् ही इन प्रकरणों में निर्णय लिया जाए। इसके बावजूद भी द्वितीय अपील के रूप में मा0 आयोग में तीसरे पक्ष को न सुने जाने/नोटिस न दिए जाने की द्वितीय अपील आती है, जिसमें लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, द्वारा तीसरे पक्ष को सूचित किए बगैर ही निर्णय लिया गया हो तो आयोग ऐसे प्रकरणों में तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही निर्णय लेगी ताकि इस तरह के मामलों में सभी स्तरों पर एकरूपता बनी रहे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राजेन्द्र कोटियाल राज्य सूचना आयुक्त	प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त	अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	विनोद नौटियाल राज्य सूचना आयुक्त	नृप सिंह नपलच्याल मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 26/09/2013 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आठ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित बैठक में निम्नवत निर्णय लिए गए।

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल,	–	मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राज़ेन्द्र कोटियाल	–	राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल,	–	उप सचिव,
7. श्री त्रेपन्न सिंह बिष्ट	–	विधि अधिकारी,

1. इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिवस को दिनॉक 11/10/2013 को समय अपराहन 3.00 बजे आयोग भवन के प्रेक्षागृह में ही मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस अवसर पर दून स्थित समस्त लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्यो को आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त समारोह में देहरादून के प्रमुख समाचार पत्र यथा दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, एवं गढवाल पोस्ट, के सम्मानित सम्पादकों को भी आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया, तथा इस अवसर पर आर0टी0आई0 के माध्यम से "नागरिकों के सशक्तिकरण के लिये संचार की भूमिका" में परिचर्चा आयोजित की जायेगी ।

4. इस अवसर पर देहरादून स्थित, दून विश्वविद्यालय, तथा श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति को भी आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त समारोह के उपलक्ष्य पर इस समारोह में डा0 वी0पी0मैठानी (पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन) को इस परिचर्चा में सहभागिता हेतु आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राजेन्द्र कोटियाल	प्रभात डबराल	अनिल कुमार शर्मा	विनोद नौटियाल	नृप सिंह नपलच्याल
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

आयोग की संस्तुतिया

8. आयोग की संस्तुतिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां यथोचित परीक्षणोपरान्त क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की जा रही हैं.

संस्तुति : 1

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील के निस्तारण में मात्र लोक सूचना अधिकारी को सूचना 10 दिन या एक हफ्ते आदि अवधि में प्रेषित किये जाने के मात्र निर्देश दे रहे हैं, उनके द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या धारा 8 के विभिन्न प्राविधानों, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिपालन में सम्बन्धित सूचना दी जा सकती है कि नहीं, जिस कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करनी पड़ रही हैं। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक की अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये.

प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत न केवल सांविधिक प्राधिकारी हैं बल्कि लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी भी हैं. अतः प्रथम अपीलिय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनके अनुश्रवण करने का भी दायित्व है ताकि प्रथम अपील के बाद ही आवेदक को पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाए तथा उसे द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े. इस हेतु लोक प्राधिकारी के द्वारा अपनी अधीनस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी को समय–समय पर निर्देश किया जाए तथा अनुपालन सुनिश्चित करता जाए.

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की नियमित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक है. इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल को इस मद में आय–व्ययक में धनराशि दिए जाने का प्राविधान किया जाए तथा वर्ष के प्रारम्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अकादमी तथा आयोग के साथ विचार–विमर्श कर प्रशिक्षण की प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए अकादमी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए जाए. यह भी आवश्यक है कि फील्ड स्तर के अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर प्रशिक्षण को उपयोगी तथा परिणामपरक बनाया जाए.

संस्तुति : 3

कार्मिक, प्रशिक्षण तथा लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप शासन के समस्त विभागों में सूचनाओं के स्वःप्रकटन की व्यवस्था किए जाने हेतु उन सब विभागीय कार्य–कलापों को चिन्हित कर उससे सम्बन्धित सूचनाएं धारा 4 (1) (ब) के अनुसार प्रकट करने की कार्यवाही प्रतिवर्ष एक निर्धारित अवधि यथा 30 जून तक करने के निर्देश सभी विभागों को जारी कर दिए जाएं. इस प्रकार स्वःप्रकटन किए जाने से सभी विभागों की सूचना पारदर्शिता पूर्वक सार्वजनिक संज्ञान में आ जायेगी तथा नागरिकों को पृथक से सूचना मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अतः नोडल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से मुख्य सचिव द्वारा इस हेतु निर्देश प्रसारित किया जाना आवश्यक है. सामान्य प्रशासन विभाग इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को भी अवगत करायें.

आयोग द्वारा निर्गत
महत्वपूर्ण निर्देश

महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या :5152 / उ.सू.आ. / 2012 दिनांक : 02 / 04 / 2012

सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा 17 मैनुअल तैयार कर लिये गये हैं। उक्त तैयार मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने के लोक प्राधिकारियों का दायित्व भी अधिनियम की इसी धारा 4(1)(ख)(xvii) के अंतर्गत है। इसी क्रम में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की मानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग की धारा 25(5) के प्राविधानों के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण की कार्यवाही माह अप्रैल से जून 2012 के मध्य पूर्ण की जाये।

2. अतः उपरोक्त के क्रम में आपके एवं आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों को **30 जून 2012** तक के विवरणों सहित अद्यावधिक करने की कार्यवाही अपेक्षित है। आयोग द्वारा प्रस्तावित इस अद्यावधिकरण कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक स्तर पर भी की जायेगी. इस कार्य को **शासन स्तर पर संबंधित प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा; मण्डल स्तर पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा; विभागाध्यक्ष स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा; तथा जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा** प्रतिमाह करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई द्वारा अधिनियम के प्राविधानानुसार मैनुअल तैयार कर लिये गये हैं तथा उनके विवरणों को 30 जून 2012 तक की अवधि तक अद्यावधिक कर लिया गया है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार अद्यावधिक किये गये मैनुअलों की हॉर्ड एवं सॉफ्ट प्रतियां आयोग को विलम्बतम 15 जुलाई 2012 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को भी पूर्ण कर अद्यावधिक सूचना उक्त तिथि तक आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअलों की समीक्षा (वर्ष 2011 – 12)

लोक प्राधिकारी का नाम : ————————————————————

1. निर्धारित मैनुअल किस वर्ष तैयार किये गये तथा उन्हें वर्षवार किन – किन तिथियों में अद्यावधिक / अपडेट किया गया ?

2. तैयार मैनुअलों को वैबसाईट में कब अपलोड किया गया तथा अपलोड किये गये मैनुअल किस तिथि तक अद्यावधि हैं ?

3. लोक प्राधिकारी के किस अधीनस्थ स्तर तक तैयार मैनुअलों की प्रतियां जन सामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं ? सभी स्तरों का पूर्ण विवरण दें।

4. क्या तैयार मैनअुल संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों में जन सामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं ? सभी का पूर्ण विवरण दें.

5. तैयार मैनुअलों को जनसामान्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से उपयोग / प्राप्त किया जा सकता है ? सभी स्तरों का पूर्ण विवरण दें।

महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या :5600 / उ.सू.आ. / 2012दिनांक : 12 / 04 / 2012

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रकिया संबंधी निर्देश.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने / सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों।

2. आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के की धारा 19(3) के अंतर्गत योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर प्रथम अपीलों की सुनवाई करने की सही प्रकिया नहीं अपनायी जा रही है. उनके द्वारा किये जा रहे प्रथम अपीलों के निस्तारण में मुख्यतः निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हो रही हैं :

2.1 अधिकतर प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई या तो बिलकुल नहीं की जा रही है अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के बहुत बाद में प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है.

2.2 कई प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा केवल अपीलकर्ता की अनुपस्थिति को कारण बनाते हुये प्रथम अपीलों को निरस्त किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक प्रथम अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर नियमानुसार किया जाना चाहिए.

2.3 प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों का बिंदुवार विश्लेषण नहीं किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्रों पर नियमानुसार सूचना देने हेतु समुचित निर्देश भी नहीं दिये जाते हैं.

2.4 कुछ प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के स्थान पर अनुरोध में अनुरोधकर्ता द्वारा वर्णित की गयी समस्या / शिकायत के संबंध में पक्षों के मध्य समझौता कराने की कार्यवाही की जाती है, जबकि उनका दायित्व वांछित सूचना को उपलब्ध कराना होता है.

2.5 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना प्रदान करने के संबंध में किसी प्रकार की अनुश्रवणात्मक कार्यवाही प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती है, जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में वे संबंधित लोक सूचना अधिकारियों के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी होते हैं.

2.6 यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा अपील की सुनवाई स्वयं न कर के किसी अधीनस्थ कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी द्वारा करायी जाती है. ऐसा प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर अधिनियम की धारा 19(1) का खुला उल्लंघन है तथा एक गंभीर कदाचरण भी है.

3. प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली

कार्यवाही के संबंध में आयोग स्तर से विभिन्न द्वितीय अपीलों, शिकायतों के आदेशों तथा सामान्य निर्देशों के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया गया है किंतु अभी भी कई प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों की सुनवाई नियमानुसार नहीं की जा रही है. आयोग द्वारा इस पत्र के माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण के संबंध में पालन की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित निर्देश पुनः दिये जा रहे हैं :

विभागीय अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण की प्रकिया

3.1. समस्त प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई हेतु दिवसों का निर्धारण किया जाना चाहिए. प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपील अधिकारी को स्वयं उपलब्ध रहना चाहिए तथा अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई की तिथि एवं समय के संबध में सूचना समय से पंजीकृत डाक द्वारा जारी की जानी चाहिए.

3.2. प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण आवेदन प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत कर दिया गया हो प्रथम अपील की सुनवाई/निस्तारण के समय उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचना/अभिलेख अपीलकर्ता/प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं. (अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 6). लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए प्रार्थी को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जायेगी.

3.3. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3.4. अपीलकर्ता के सुनवाई तिथि की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़ कर, प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई की जानी चाहिए. प्रथम अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य/उचित सूचना/अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा अस्वीकार्य सूचना/अभिलेख को लिखित रूप में, धारा 8 या 9 अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम के किसी अन्य प्राविधान के तहत निरस्त कर दिया गया है. प्रथम अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से अपनी सहमति/असहमति का, लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, लिखित रूप में कारण बताते हुए करना चाहिए.

3.5. प्रथम अपील अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना उपलब्ध करायी गयी हो, सूचनाओं/अभिलेखों, स–शुल्क अथवा निःशुल्क, को तैयार किया गया हो तथा प्रथम अपील निर्णयों का अनुरक्षण किया गया हो. निर्णयों को पत्रावली में व्यवस्थित किया जाना चाहिए तथा धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

3.6. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 'तृतीय पक्ष' को आवश्यकतानुसार अवसर देते हुए 'तृतीय पक्ष' (धारा 11) से संबधित प्राविधानों का पालन किया गया है.

3.7. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित में तिथि सहित जारी किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रतियां दोनों पक्षों (अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी) को उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

3.8. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ताओं हेतु सूचना तैयार करते समय, शासनादेश सं0 146 दिनांक 22 मार्च 2005 के संलग्नक 9 (निरस्तीकरण हेतु) तथा संलग्नक 10 (सूचनाओं को तैयार करने हेतु) में निर्धारित प्रारूपों का प्रयोग किया जाता है. दोनों स्थितियों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदनकर्ता को इसकी जानकारी दी गयी हो कि निरस्त की गयी/उपलब्ध करायी गयी जानकारी से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह प्रथम अपील अधिकारी से प्रथम अपील कर सकते हैं तथा जिसका विवरण (अपीलीय अधिकारी का नाम व पता) लोक सूचना

अधिकारी द्वारा अपने पत्र के अंत में उपलब्ध कराया गया हो.

3.9. प्रथम अपील अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रथम अपील का निर्णय उनके द्वारा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जाये तथा उसके अन्त में आवेदनकर्ताओं को द्वितीय अपील करने के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता उपलब्ध कराया जाये.

4. समस्त लोक प्राधिकारी कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तरों पर नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों से यथोचित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा उनके द्वारा आयोग के इन निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रथम अपीलों का निस्तारण उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
3. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक : 8183 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 05 / 06 / 12

प्रिय

जैसा आप अवगत ही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ञ) (i) तथा (iii) के अंतर्गत क्रमशः राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने तथा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के नमूने लेने को भी ''सूचना का अधिकार'' की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है तथा कार्यों का निरीक्षण किये जाने एवं प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने लिये जाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है. इसका प्रयोग नागरिकों के द्वारा विभिन्न लोक प्राधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग आदि के द्वारा किये गये / किये जा रहे राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए किया जा सकता है तथा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी विभिन्न सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त किये जा सकते हैं.

2. अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं निर्माण सामग्री से संबंधित उपरोक्त सूचना को अनुरोधकर्ताओं को दिये जाने के सापेक्ष लोक प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली फीस एवं प्रक्रिया के विषय में शासन स्तर से अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे ऐसे प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोधों के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित कराने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए अधिकृत है.

3. अतः अनुरोध है कि कृपया अधिनियम की धारा 27 की उपधारा–(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्माण कार्यों एवं निर्माण सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए यथोचित शुल्क / फीस एवं प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी नियम राज्य सरकार के स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक : 8414 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 05.06.2012

प्रिय

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों का है.

2. इसी क्रम में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनैट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को माह अप्रैल से जून 2012 के मध्य पूर्ण करने के संबंध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे. आयोग स्तर से निर्गत उक्त निर्देशों की एक प्रति मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि उक्त 17 मैनुअल अद्यावधि हो सकें तथा जनता को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सकें. कृपया शासन स्तर पर इस कार्य को पूर्ण करने की प्रगति की समीक्षा भी अपने स्तर से करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

पत्रांक : 8771 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 15.06.2012

प्रिय

जैसा आप अवगत ही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / ईकाई द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में सचिवालय स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारी / अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना हेाता है. इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है. दिनांक 12 / 10 / 11 को आयोग के एक कार्यक्रम के दौरान इस तथ्य को तत्कालीन मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया था. उनके द्वारा इस विसंग्ति को दूर करने का आश्वासन दिया गया था.

2. दिनांक 30 / 04 / 12 को हुयी पूर्ण आयोग की बैठक में उपरोक्त बिंदु पर भी चर्चा हुयी तथा शासन को यह सुझाव दिये जाने पर सहमति हुयी कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके.

3. अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

पत्रांक : 9386 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 04.07.2012

प्रिय

आयोग के संज्ञान में सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून, 2012 को जारी शासनादेश संख्या 1802 लाया गया है जिसमें लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे लोक सेवकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए.सी. आर.) की छायाप्रति मांगने पर ''आवेदक को सूचना प्रकटन न करने के आधार स्वरूप केन्द्रीय सूचना आयोग'' के दिनांक 13 / 07 / 2006 के आदेश की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर दें।''

उक्त शासनादेश के साथ श्री गोपाल कुमार बनाम मेजर जनरल गौतम दत्त व अन्य संबंधी वाद में केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 13 / 07 / 2006 के आदेश के कुछ अंश भी समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड, समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड तथा समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को भेजे गए हैं ताकि वे अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को तत्संबंधी निर्देश दे सकें।

उक्त शासनादेश से प्रदेश में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय माना जाए अथवा नहीं, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है।

उक्त शासनादेश में केन्द्रीय सूचना आयोग के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वह 13 / 07 / 2006 का है तथा तब से अब तक विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों एवं प्रदेश के अपने सूचना आयोग के अनेक निर्णय इस संबंध में जारी हो चुके हैं। वैसे भी केन्द्रीय सूचना आयोग का कोई निर्णय स्वतः ही देश के सभी सूचना आयोगों पर लागू मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। खासकर ऐसी स्थिति में जबकि उत्तराखण्ड सूचना आयोग एक से अधिक अवसरों पर इस संबंध में अपनी राय व्यक्त कर चुका है, छः साल पुराने केन्द्रीय सूचना आयोग के किसी फैसले का उद्धरण देते हुए ए.सी. आर. को सूचना के रूप में प्रदान करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर देना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता।

प्रदेश के लोक प्राधिकारियों के संज्ञान के लिए आयोग ए. सी.आर. को 'सूचना' माना जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न की विवेचना आयोग द्वारा विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेशों के आलोक में निम्नवत् की जा रही है:

सूचना के अधिकार के तहत ए.सी.आर. की प्रतिलिपियां मांगने के आवेदनों को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है:

1. जबकि आवेदक स्वयं अपनी ए.सी.आर. की प्रतिलिपि मांग रहा हो,

2. जबकि आवेदक लोक सेवक हो तथा अपने कार्यालय / विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों की ए.सी.आर. मांग रहा हो,

3. जबकि कोई आवेदक भारत के नागरिक के रूप में किसी लोक सेवक की ए.सी.आर. मांग रहा हो।

जहॉ तक उपरोक्त बिन्दु '1' का प्रश्न है देवदत्त बनाम भारत सरकार आदि के वाद संख्या सिविल अपील संख्या 7631 / 2002 में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस एच.के. सेमा तथा जस्टिस मार्कंडेय काटजू के आदेश की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख समीचीन होगा :

(क) प्रस्तर 13 : ''हमारा मानना है कि किसी कर्मचारी को ए. सी.आर. की उसकी एंट्री की जानकारी न देना अन्यायपूर्ण है क्योंकि ऐसा करके उस कर्मचारी को अपनी एंट्री बेहतर बनाने के लिए प्रतिवेदन करने का अधिकार छीना जा रहा है। हमारा मानना है कि हरेक कर्मचारी को, चाहे वह सिविल, न्यायिक पुलिस अथवा किसी अन्य सेवा का हो (सेना को छोड़कर) उसकी ए.सी.आर. के सभी इंद्राज बताए जाने चाहिए ताकि वह यदि चाहे तो उनके सुधार के लिए प्रतिवेदन कर सके।''

(ख) लोक सेवक को उसकी ए.सी.आर. की एंट्री ''संसूचित न करना हमारी राय में एकतरफा कार्रवाई है अतः यह संविधान की धारा–14 के खिलाफ है।''

यदि उपरोक्त आदेशानुसार किसी लोक सेवक को ए.सी. आर. की उसकी स्वयं की एंट्री दिया जाना बाध्यता है तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देने से प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है।

2. अब हम उस परिदृश्य पर विचार करेंगे जहॉ पर कोई

लोक सेवक अपने विभाग के किसी अन्य लोक सेवकों की ए. सी.आर. की प्रतिलिपि मांग रहा हो :

ऐसी स्थिति में भी ए.सी.आर. की प्रतिलिपि देने से इंकार नहीं किया जा सकता। किंतु इस स्थिति में किसी अन्य लोक सेवक की ए.सी.आर. 'व्यक्तिगत सूचना' मानी जाएगी तथा इस सूरत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा–11 के तहत संबंधित 'तृतीय पक्ष' की सहमति लेनी होगी तथा सहमति न मिलने की सूरत में स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि यह व्यक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक है अथवा नहीं। यदि लोक सूचना अधिकारी यह निर्णय करें कि लोकहित में यह व्यक्तिगत सूचना दिया जाना जरूरी है तो भी सूचना दिए जाने से पहले 'तृतीय पक्ष' को अपील करने का अवसर प्रदान करना उचित होगा। यहॉ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान नहीं है।

3. किसी गैर–लोक सेवक अथवा आम नागरिक द्वारा किसी लोक सेवक की ए.सी.आर. मांगें जाने पर भी उपरोक्त बिन्दु (2) की व्यवस्था ही लागू होगी। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा अपील संख्या अ–7314/2012 में पारित दिनांक 08/06/2012 के निर्णय के निम्न बिन्दुओं का उल्लेख समीचीन होगा :

3.1 अरविंद केजरीवाल बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग के वाद संख्या 6614 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (AIR 2010 Delhi 216) ने स्पष्ट कहा है कि ''अधिकारियों की विगत की परफॉरमेंस वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज रहती है इसलिए इसे व्यक्तिगत सूचना ही माना जाएगा..... और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा आम जनता के एक सदस्य के रूप में यह सूचना मांग रहा है तो इसे 'तृतीय–पक्ष' की सूचना ही माना जाएगा।'' 'तृतीय पक्ष' की सूचना प्रदान करने के लिए धारा–11 में प्रावधानित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

धारा 11(1) में प्राविधानित है कि ''जहॉ, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहॉ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाए, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

3.2 उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि पर–व्यक्ति (तृतीय पक्ष) द्वारा व्यक्तिगत सूचना दिए जाने से इंकार किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने विवेक से यह निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे ''प्रकटन में लोकहित, ऐसे प्रकटन से किसी पर–व्यक्ति (तृतीय पक्ष) के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है अथवा नहीं।'' सिर्फ इस कारण कि वह ''तृतीय पक्ष'' की सूचना है, जिसमें ए.सी.आर. और सर्विस बुक शामिल है, उसे प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा।

3.3 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 11(1) के प्रावधानों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ''ऐसी सूचनाओं के प्रकटन में निजता के अधिकार को लोकहित के सापेक्ष तोलने के लिए ही ऐसे प्रावधान आर.टी.आई. कानून में डाले गए हैं। इनमें से कौन भारी है इसका निर्धारण वाद के तथ्यों के आलोक में लोक सूचना अधिकारी को करना है।'' इसमें शक नहीं कि 'निजता' की सुरक्षा सभ्य सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अवयव है। किंतु वाद संख्या 8228/2007 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि ''निजता का अधिकार absolute अधिकार नहीं है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का एक भाग है''। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) तथा 11(1) को माननीय उच्च न्यायालय की इसी टिप्पणी के आलोक में देखना चाहिए।

3.4 माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि निजता के अधिकार और लोकहित के बीच तुलना करते हुए लोक सूचना अधिकारियों को अत्यंत सावधानी के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन सूचनाओं को, सिरे से प्रतिबंधित किया जाना, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

आयोग का स्पष्ट मत है कि सचिव, सामान्य प्रशासन

विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून, 2012 को जारी आदेश विधिसम्मत नहीं है। अतः आयोग की उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

4. उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सूचना के रूप में प्रकटन के सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के क्रम में तत्काल संशोधित शासनादेश जारी कर उसकी एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 9725 / उ.सू.आ. / 2012दिनांक : जुलाई 11, 2012

प्रेषितः

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : सहायक लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आयोग में योजित कतिपय द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान कतिपय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर होने वाली यह अनियमितता परिलक्षित हो रही है कि उनके द्वारा नामित सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों को किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी को अंतरित करने, आवेदनकर्ताओं से प्रतिलिपिकरण / अतिरिक्त शुल्क की मांग करने अथवा स्वयं अपने हस्ताक्षरों से ही सूचना देने के कार्य भी किये जा रहे हैं, जबकि यह कार्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए. यह स्थिति नितांत गंभीर एवं आपत्तिजनक है तथा अधिनियम के प्राविधानों के सम्मत नहीं है.

2. उपरोक्त के क्रम में सभी लोक प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति मात्र अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों को प्राप्त करने तथा ऐसे प्राप्त अनुरोध पत्रों / प्रथम अपीलों को संबंधित लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अग्रसारित करने के लिए की जाती है. अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत अनुरोध पत्रों पर सूचना देने अथवा आवेदनकर्ताओं से प्रतिलिपिकरण / अतिरिक्त शुल्क की मांग करने, तथा धारा 6(3) के अंतर्गत अनुरोध पत्रों / प्रथम अपीलों को किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपील अधिकारियों को अंतरित करने का अधिकार सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त नहीं है.

3. यदि किसी अवधि में किसी भी कारणवश अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत नामित लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी स्थिति एवं अवधि में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पृथक से लोक सूचना अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए. किसी भी दशा में लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों / दायित्वों का प्रयोग / पालन सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए.

4. समस्त लोक प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ स्तरों पर नामित लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को आयोग के उक्त निर्देशों से समुचित रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें. भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरणों पर आयोग स्तर से संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि : सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों तथा आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त